बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संख्या-बाढ़ (मो0)सिं0-44/2009 अंश-I 1285 पटना, दिनांक- 15/4/16

अधिसूचना

संख्या-एल0जी0 1-1-04196 लेज- 1681- बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 की उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-
   (1) यह नियमावली बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।
   (2) उसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (3) यह तुरत प्रवृत होगी ।

2. उक्त नियमावली, 2003 की धारा 4.9.11 एवं 4.9.13 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

"4.9.11 योजना समीक्षा समिति द्वारा चयनित योजनाओं के आधार पर विभाग एक कार्यावली तैयार करेगा, जिसमें बाढ़ प्रक्षेत्र में स्थापना पर प्रस्तावित व्यय भी सम्मिलित होगा। विभाग यह कार्यावली लेकर बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् के समक्ष उपस्थापित करेगा। बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित होगा :-

1. जल संसाधन मंत्री, बिहार	- अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त, बिहार	- सदस्य
3. प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ,बिहार	- सदस्य
4. वित्त आयुक्त, बिहार	- सदस्य
5. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग	- सदस्य
6. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग	- सदस्य
7. अभियंता प्रमुख 'उत्तर'	- सदस्य
8. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	- सदस्य
9. मुख्य अभियंता, पूर्वी रेलवे, कलकत्ता	- सदस्य
10. मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर	- सदस्य
11. प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार	- सदस्य-सचिव

"4.9.13 बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् सामान्यतः इन योजनाओं पर अनुमोदन, कार्यकारी अवधि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दो प्रकार से देगा :-

(i) यदि कार्यकारी समय उपलब्ध हो तो पर्षद् योजनाओं का अनुमोदन देते हुए निदेश देगा कि इस पर योजना प्राधिकृत समिति/स्थायी वित्त समिति के माध्यम से मंत्रिमंडल/विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(ii) यदि कार्यकारी समय कम हो तो पर्षद् योजनाओं पर अनुमोदन देते हुए यह निदेश देगा कि प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में इन योजनाओं के प्रति कार्यारम्भ आदेश निर्गत किया जाय ।

उपर्युक्त स्थिति में विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यारम्भ आदेश निर्गत किया जाएगा । क्षेत्रीय पदाधिकारी इस आदेश के आलोक में अल्पकालीन निविदा सूचना निकाल कर निविदा आमंत्रित कर सकेंगे तथा कार्य का निष्पादन करायेंगे ।

उपर्युक्त प्रश्नगत योजना की लागत राशि यदि 20.00 करोड़ रु0 तक की हो तो विभाग अधिकतम 10 दिन की अवधि में योजना की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त करेगा । यदि प्रश्नगत योजना की लागत राशि 20.00 करोड़ रु0 से अधिक की हो तो योजना की घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन मंत्रिपरिषद् की पहली आगामी बैठक में प्राप्त किया जाएगा ।"

Jitendra/BIHAR GAZETTE HINDI new

3. **व्यावृति**- ऐसे संशोधन के होते हुए भी, पूर्व प्रावधानों के अधीन किया गया कुछ भी या को गयी कोई कार्रवाई नये प्रावधानो के अधीन किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो नये प्रावधान उस दिन प्रवृत थे जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

K Singh 5.4.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांक-बाढ़ (मो0)सिं0-44/2009 अंश-I 1285 पटना, दिनांक- 5/4/16

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/वित्त आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख (उत्तर/दक्षिण), जल संसाधन विभाग/ अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना/ मुख्य अभियंता, पूर्वी रेलवे, कोलकाता/मुख्य अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना/ मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध, पटना/ मुख्य अभियंता, जल विज्ञान एवं योजना आयोजन, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग वीरपुर/ पूर्णिया/ समस्तीपुर/ भागलपुर/ पटना/ गया/ औरंगाबाद/ डिहरी/ सीवान/ मुजफ्फरपुर/ वाल्मीकीनगर/ दरभंगा/ वाल्मी /अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल सं0-1/2/3/4/ बाढ़ नि0 यो0 मो0 अंचल, पटना/ सिंचाई मो0 अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Fax

K Singh 5.4.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांक-बाढ़ (मो0)सिं0-44/2009 अंश-I 1285 पटना, दिनांक- 5/4/16

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

K Singh 5.4.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)

ज्ञापांक-बाढ़ (मो0)सिं0-44/2009 अंश-I 1285 पटना, दिनांक- 5/4/16

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, प्रभारी कम्प्युटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

K Singh 5.4.16

(योगेश्वर धारी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)